

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 864/2024  
अनवान : -

1. वीरसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955


उपस्थिति :- 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी  
2. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 26/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 60/51 के प0न0 369/469(26) के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 360/470 के किला न0 4/1 की 0.2270 हैक्ट, 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/1 की 0.1010 हैक्ट, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/3 की 0.1010 हैक्ट, 6 की 0.2530 हैक्ट, 7/1 की 0.1120 हैक्ट, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै0मु0 खाला, 7/3 की 0.1130 हैक्ट, प0न0 370/469(25) की किला न0 21/1 की 0.1080 हैक्ट, 21/7 की 0.0266 हैक्ट गै0मु0 खाला, 21/8 की 0.0425 हैक्ट, प0न0 370/470 (30) किला न0 1/1 की 0.1070 हैक्ट, 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला, 1/3 की 0.1080 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट, 3 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, 9/1 की 0.1080 हैक्ट 9/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 9/3 की 0.1070 हैक्ट, 10 की 0.2530 हैक्ट कुल 3.2131 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 60/51 के प0न0 369/469(29) के किला न0 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै0मु0 खाला, व प0न0 370/469(25) की किला न0 21/1 की 0.1080 हैक्ट, 21/7 की 0.0266 हैक्ट गै0मु0 खाला, 21/8 की 0.0425 हैक्ट, प0न0 370/470 (30) किला न0 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला व किला न0 9/2 की 0.038 हैक्ट गै0मु0 खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पूर्व में यह कच्चा खाला चलता था लेकिन वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा नक्शे में परिवर्तन कर सिंचाई विभाग के तहत पत्थर लाईन पर पक्के खाले का निर्माण कर दिया है अब वर्तमान में उक्त किला न0 में कोई खाला निर्मित नहीं है एवं न ही कोई खाला चलता है नियमानुसार खाले की भूमि खातेदार को देनी है। इसलिए रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 60/51 के प0न0 369/470(29) के

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

किला न० 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै०मु० खाला, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै०मु० खाला, व प०न० 370/470 (30) किला न० 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० खाला व किला न० 9/2 की 0.038 हैक्ट गै०मु० खाला उक्त गै०मु० खाला की भूमि को वादी के नाम मुमकिन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स० 1 परोकार राज ने जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल किये गये।।

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा 13 जीजीएम सम्वत 2073-76 खाता स० 60/51, पर्चा खतौनी पेश पेश किये जो की शामिल किये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स० 60/51 के प०न० 369/470(29) के किला न० 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै०मु० खाला, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै०मु० खाला, व प०न० 370/470 (30) किला न० 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० खाला व किला न० 9/2 की 0.038 हैक्ट गै०मु० खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में न तो खाला निर्मित है और नही कोई उपयोग में लिया जा रहा है सिंचाई विभाग द्वारा नई चक स्कीम के तहत प०न० पर पक्का खाला का निर्माण कर दिया गया है इसलिए उक्त गै०मु० खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वादी का कथन है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स० 60/51 के प०न० 369/469(26) के किला न० 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट, प०न० 360/470 के किला न० 4/1 की 0.2270 हैक्ट, 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/1 की 0.1010 हैक्ट, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/3 की 0.1010 हैक्ट, 6 की 0.2530 हैक्ट, 7/1 की 0.1120 हैक्ट, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै०मु० खाला, 7/3 की 0.1130 हैक्ट, प०न० 370/469(25) की किला न० 21/1 की 0.1080 हैक्ट, 21/7 की 0.0266 हैक्ट गै०मु० खाला, 21/8 की 0.0425 हैक्ट, प०न० 370/470 (30) किला न० 1/1 की 0.1070 हैक्ट, 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० खाला, 1/3 की 0.1080 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट, 3 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.2530 हैक्ट, 9/1 की 0.1080 हैक्ट 9/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 9/3 की 0.1070 हैक्ट, 10 की 0.2530 हैक्ट कुल 3.2131 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि रोही मौजा चक 13

जीजीएम तहसील नोहर के खाता स० 60/51 के प०न० 369/470(29) के किला न० 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै०मु० खाला, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै०मु० खाला, व प०न० 370/470 (30) किला न० 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० खाला व किला न० 9/2 की 0.038 हैक्ट गै० मु० खाला व पुरानी पर्चा खतौनी मे गै०मु० खाला है लेकिन अब सिंघाई सिंचाई द्वारा इन किलों में से खाला के स्थान दुसरी जगह पर खाला स्वीकृत कर पक्के खाले का निर्माण हो चुका है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग भादरा की रिपोर्ट के अनुसार नई चक स्कीम के अनुसार 13 जीजीएम के प०न० 369/470 में कोई खाला दर्ज नहीं है पुरे मुरब्बे की सिंचाई के लिए किला न० 1 में स्वीकृतशुदा नाका बना हुआ है व प०न० 370/470 के किला न० 5 ता 25 में स्वीकृतशुदा खाला बना हुआ है व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में उक्त किला न० में कोई खाला नहीं बना हुआ है एवं यह भूमि कृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है।

गै०मु० खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न० 167, आरआरडी 1987 पेज न० 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न० 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।


पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वादी के पूर्वजों के नाम उक्त वाद भूमि दर्ज थी सीएडी विभाग के द्वारा चक स्कीम के अन्तर्गत खाला प्रस्तावित होने पर वादी की भूमि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स० 60/51 के प०न० 369/470(29) के किला न० 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै०मु० खाला, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै०मु० खाला, व प०न० 370/470 (30) किला न० 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै०मु० खाला व किला न० 9/2 की 0.038 हैक्ट गै० मु० खाला दर्ज था। वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नहीं किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नहीं है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला दुसरी जगह बनया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै०मु० खाला के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नहीं है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग भादरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

  
अधिकाारी  
नोहर

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 60/51 के प0न0 369/470(29) के किला न0 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै0मु0 खाला, व प0न0 370/470 (30) किला न0 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला व किला न0 9/2 की 0.038 हैक्ट गैर मु0 खाला को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 864/2024

अनवान : -

1. वीरसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 864 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 60/51 के प0न0 369/470(29) के किला न0 4/2 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 7/2 की 0.0280 हैक्ट गै0मु0 खाला, व प0न0 370/470 (30) किला न0 1/2 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 खाला व किला न0 9/2 की 0.038 हैक्ट गैर मु0 खाला को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर